

राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.4(5)वित्त/आब/2022

जयपुर, दिनांक: 27 दिसम्बर, 2023

आदेश

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम (प्रति संलग्न) के अनुसार राज्य की पंचायतीराज संस्थाओं के उप चुनाव माह जनवरी, 2024 के लिये मतदान दिनांक 10.01.2024 को करवाये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 22 के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-ग के प्रावधान इन चुनावों में भी लागू होते हैं।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-ग के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र तथा ऐसे क्षेत्र की 5 कि.मी. परिधीय क्षेत्र में शराब की बिक्री, वितरण एवं प्रदायगी पूर्णतया निषिद्ध होने के कारण मतदान समाप्ति से 48 घण्टे पूर्व तथा जहां पंच/सरपंच चुनाव हो वहां मतगणना समाप्ति तक सूखा दिवस घोषित कराना आवश्यक है।

अतः संलग्न कार्यक्रम के अनुसार सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रों में तथा उनके 5 कि.मी. परिधीय क्षेत्र में राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 08.01.2024 को सांय 05.00 बजे से दिनांक 10.01.2024 को सांय 05.00 बजे तक व जहां पंच एवं सरपंच के चुनाव होने हैं, वहां दिनांक 10.01.2024 को मतगणना समाप्ति तक सूखा दिवस घोषित किया जाता है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

आज्ञा से,

Sd/-
(जसवंत सिंह)

संयुक्त शासन सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक: एफ. 7(2)(5)/पंचा/रानिआ/2023/5481

दिनांक: 28.12.2023

प्रतिलिपि समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, (कलक्टर)(प्रतापगढ़ एवं श्रीगंगानगर को छोड़कर) राजस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।



(अंजू वर्मा)

सहायक सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग